

**भारतीय स्टेट बैंक**

**प्रॉक्सी फार्म**

फोलियो क्र : .....

डी.पी./ग्राहक आई.डी.क्र.....

मैं/हम,

..... निवासी ..... बैंक के केंद्रीय कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के ..... शेयर/शेयरों का धारक हूँ/शेयरों के धारक है और एतदद्वारा

..... निवासी ..... को (या उसकी) अनुपस्थिति में ..... निवासी ..... को) भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की ..... में दिनांक ..... को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित ..... के ..... दिवस को

15 पैसे रसीदी

टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थानीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टॉपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No.: \_\_\_\_\_

DP/Client-ID No.: \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ being (a) shareholder (s) of the State Bank of India holding (No.) \_\_\_\_\_ shares on the Register of shareholders at the Central office of the Bank do hereby appoint \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ (or failing him/her \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_) as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the shareholders of the State Bank of India to be held at \_\_\_\_\_ on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ and at any adjournment thereof.

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

15 paise Revenue Stamp
------------------------------

No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Central Office or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

The State Bank of India, Shares & Bonds Dept., Corporate Centre, 14<sup>th</sup> Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021 is authorised to accept the proxy form, power of attorney, authority or any other documents in this regard.